रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249627
CG-DL-E-23102023-249627

राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात

(अधिप्रमाणित)

साध्वी निरंजन ज्योति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945
No. 613] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि.791(अ).—केंद्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 5 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु 25 अक्तूबर, 2025 तक, कोई आवेदक केवल कृषि संबंधी माल का भंडारण करने वाले भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन फीस का संदाय करने हेतु नहीं होगा।"

[फा.सं. 25-2020-भंडारण-II]
अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 165(अ), तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि. 503(अ) तारीख 12 जुलाई 2023, द्वारा संशोधित किए गए थे।

Papers to be laid on the Table of Rajya Sabha

Authenticated
साध्वी निरंजन ज्योति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2023

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 0f 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses(Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, in rule 5, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that till 25th October, 2025, no applicant shall be liable to pay application fee for registration or renewal of warehouses storing only agricultural goods."

[F. No. 25-2020-Stg-II]

ANITA KARN, Jt. Secy.

Note- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R- 165(E), dated the 23rd February, 2017 and last amended *vide* number G.S.R. 503(E), dated the 12th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA